रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052021-226833
CG-DL-E-04052021-226833

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 4, 2021/वैशाख 14, 1943
No. 252] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 4, 2021/VAISAKHA 14, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2021

सा.का.नि. 318 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित 139क की उपधारा (8) के खंड (घ) और धारा 206कक की उपधारा (7) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 114ककख में,--

(1) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(2क) धारा 139क के उपबंध अनिवासी को लागू नहीं होंगे, जो एक पात्र विदेशी विनिधानकर्ता है, जिसने केवल धारा 47 के खंड (viiकख) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति में संव्यवहार किया है, जो किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में

अवस्थित शेयर बाजार में सूचीबद्ध है और ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण पर प्रतिफल संदत्त किया जाता है या विदेशी मुद्रा में संदेय है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं, अर्थात् :--

(i) पात्र विदेशी विनिधानकर्ता भारत में धारा 47 के खंड (viiकख) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण से आय से भिन्न कोई आय अर्जित नहीं करता है ;

(ii) पात्र विदेशी विनिधानकर्ता, स्टाक दलाल को जिसके माध्यम से संव्यवहार किया जाता है, निम्नलिखित ब्यौरे और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :--

(क) नाम, ई-मेल आईडी, संपर्क नंबर ;

(ख) भारत के बाहर के उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का पता जिसका वह निवासी है ;

(ग) एक घोषणा कि वह भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का निवासी है ; और

(घ) उसके निवास वाले देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में कर पहचान संख्या और यदि ऐसी संख्या उपलब्ध नहीं है, तब विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा अनिवासी के उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है, पहचान की जाए ।

(2ख) स्टाक दलाल, वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए एक तिमाही विवरण, जिसमें उसके द्वारा प्राप्त किए गए उपधारा (2क) में निर्दिष्ट ब्यौरे और दस्तावेज हैं, प्ररूप संख्या 49खक में इलेक्ट्रानिक रूप से प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा, और ऐसे वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे विवरण संबंधित हैं, की तिमाही की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर उपनियम (3) के अधीन प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों के अनुसार उपधारा (2क) के खंड (ii) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट घोषणा, अपलोड करेगा ।";

(II) उपनियम (3) में, "उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपनियम (2) या उपनियम (2ख) के उपबंधों के अनुसार" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(III) स्पष्टीकरण में,--

(अ) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित ख्ांड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(क) "विनिर्दिष्ट निधि" से भारत में न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय के रूप में स्थापित या निगमित कोई निधि अभिप्रेत है, जिसे प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधियां) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित की जाती है और जो किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है या धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट निधि है ;';

(आ) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

'(ग) "पात्र विदेशी विनिधानकर्ता" से ऐसे अनिवासी अभिप्रेत हैं, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, परिपत्र आईएमडी/एचओ/एफपीआईसी/सीआईआर/पी/2017/003, तारीख 4 जनवरी, 2017 के अनुसार क्रियाशील हैं ;

(घ) "स्टाक दलाल" से किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में व्यापार अधिकार रखने वाला व्यक्ति और ऐसे बाजार का सदस्य अभिप्रेत है ।'।

3. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप 49खक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप सं. 49कक

[नियम 114ककख देखें]

किसी विनिर्दिष्ट निधि या स्टाक दलाल द्वारा नियम 114ककख में निर्दिष्ट अनिवासी के संबंध में .... की .... तिमाही के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला त्रैमासिक विवरण
(वित्तीय विवरण)

1. निधि/स्टाक दलाल का नाम :
2. प्रवर्ग (विनिर्दिष्ट निधि/स्टाक दलाल) :
3. स्थायी लेखा संख्यांक/आधार संख्या :
4. नियम 114ककख के उपनियम (1)/उपनियम (2क) में निर्दिष्ट अनिवासी के ब्यौरे

क्रम सं .	नाम	ई-मेल पता	संपर्क संख्या	भारत से बाहर देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में पता, जिसमें अनिवासी निवासी है	कर पहचान संख्या, यदि कोई हो	विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर अनिवासी की उस देश की सरकार में या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में पहचान की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है (प्रस्तुत किया जाना है, यदि कर पहचान संख्या उपलब्ध नहीं है)

सत्यापन

मैं ....(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री, ... जिसका स्थायी लेखा संख्या/आधार संख्या..................... है, सत्यनिष्ठा से, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सूचना सही और पूर्ण है ।

हस्ताक्षर ....
नाम और पदनाम ....

स्थान : ....
तारीख : ....

संलग्नक (अपलोड किए जाने हैं)

नियम 114ककख के, यथास्थिति, उपनियम (1) के खंड (iii) के उपखंड (ग) या उपनियम (2क) के खंड (ii) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट किसी अनिवासी से प्राप्त घोषणा ।" ।

[अधिसूचना सं. 42/2021/फा. सं. 370133/08/2020-टीपीएल]

कमलेश चंद्र वार्ष्णेय, संयुक्त सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन आय-कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचना सं. सा.का.नि. 314(अ) तारीख 03 मई, 2021 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, 4th May, 2021

G.S.R. 318(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (8) of section 139A and clause (ii) of sub-section (7) of section 206AA read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. Short title and commencement.–(1) These rules may be called the Income-tax (14^{th} Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 114AAB,—

(I) after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(2A) The provisions of section 139A shall not apply to a non-resident, being an eligible foreign investor, who has made transaction only in a capital asset referred to in clause (viiab) of section 47 which are listed on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre and the consideration on transfer of such capital asset is paid or payable in foreign currency, if the following conditions are fulfilled, namely:—

(i) the eligible foreign investor does not earn any income in India, other than the income from transfer of a capital asset referred to in clause (viiab) of section 47;

(ii) the eligible foreign investor furnishes the following details and documents to the stock broker through which the transaction is made namely:—

(a) name, e-mail id, contact number;

(b) address in the country or specified territory outside India of which he is a resident;

(c) a declaration that he is a resident of a country or specified territory outside India; and

(d) Tax Identification Number in the country or specified territory of his residence and in case no such number is available, then a unique number on the basis of which the non-resident is identified by the Government of that country or the specified territory of which he claims to be a resident.

(2B) The stock broker shall furnish a quarterly statement for the quarter of the financial year, in which the details and documents referred to in sub-rule (2A) are received by it, in Form No.49BA to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him, electronically and upload the declaration referred to in sub-clause (c) of clause (ii) of sub-rule (2A) within fifteen days from the end of the quarter of the financial year to which such statement relates in accordance with the procedures, formats and standards specified by the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) under sub-rule (3).";

(II) in sub-rule (3), for the words, brackets and figure "in accordance with the provisions of sub rule (2)" the words, brackets, figures and letter " in accordance with the provisions of sub-rule (2) or sub-rule (2B)" shall be substituted;

(III) in the *Explanation* ,—

(A) for clause (a), the following clause shall be substituted , namely :—

'(a) ''specified fund'' means any fund established or incorporated in India in the form of a trust or a company or a limited liability partnership or a body corporate which has been granted a certificate of registration as a Category I or Category II Alternative Investment Fund and is regulated under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992(15 of 1992) or International Financial

Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) and which is located in any International Financial Services Centre or a specified fund referred to in sub-clause (i) of clause (c) of *Explanation* to clause (4D) of section 10;';

(B) after clause (b) the following clauses shall be inserted, namely:—

'(c) "eligible foreign investor" means a non-resident who operates in accordance with the Securities and Exchange Board of India, circular IMD/HO/FPIC/CIR/P/2017/003 dated 04th January, 2017;

(d) ''stock broker'' means a person having trading rights in a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre and the member of such exchange.'.

3. In the principal rules, in Appendix II, for Form No. 49BA, the following Form shall be substituted , namely:–

"FORM NO. 49BA

[*See* rule 114AAB]

Quarterly statement to be furnished by specified fund or stock broker in respect of a non-resident referred to in rule 114AAB for the quarter of ………… of ….. (Financial Year)

1. Name of the fund/ stock broker:
2. Category (specified fund/stock broker):
3. Permanent Account Number/Aadhaar Number:
4. Details of non-resident referred to in sub-rule (1)/ sub-rule (2A) of rule114AAB

Sl. No.	*Name*	*E-mail address*	*Contact number*	*Address in the country or specified territory outside India of which the non-resident is resident*	*Tax Identification Number, if any*	*Unique number on the basis of which the non-resident is identified by the Government of that country or the specified territory of which he claims to be a resident (to be furnished if Tax Identification Number is not available)*

Verification

I ……………… (full name in block letters), son/daughter of …………… having permanent account number/ Aadhaar number ………………, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given above are correct and complete.

Signature ....……………

Name and designation …..........................

Place ……………..
Date ………………

Attachments (to be uploaded):

Declaration received from the non-resident as referred to in sub-clause (c) of clause (iii) of sub-rule (1) or sub-clause (c) of clause (ii) of sub-rule (2A), as the case may be, of rule 114AAB.".

[Notification No. 42/2021 F. No. 370133/08/2020-TPL]

KAMLESH CHANDRA VARSHNEY, Jt. Secy. (Tax Policy and Legislation)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section-3, Sub Section (ii) *vide* number S.O. 969(E) dated the 26th march, 1962 and were last amended by the Income-tax (13th Amendment) Rules, 2021 *vide* notification No. G.S.R. 314(E), dated the 03rd May, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.05.04 18:18:47 +05'30'